सं. टी एम/एस-29/सी सी एफ सी/**16** वर्ष 2019-20 26 जुलाई 2019

परिपत्र

सभी जहाज मालिक/पोत अभिकर्ता/ कंटेनर प्रचालक
आयातकर्ता/निर्यातक/सीमा शुल्क बिचौलिये तथा अन्य पत्तन उपभोक्ता

अध्यक्ष
भारतीय नौवहन निगम

अध्यक्ष
मेरीटाईम असोसिएशन ऑफ नेशनवार्ठ शिपिंग एजेन्सीस् - भारत (मानसा)

अध्यक्ष
दी बृहनमुंबई कस्टम्स ब्रोकर्स असोसिएशन (बी सी बी ए)

अध्यक्ष
कंटेनर शिपिंग लाईन्स असोसिएशन (इंडिया)

अध्यक्ष
इंडियन मर्चंटस् चेम्बर

अध्यक्ष
मुंबई चेंबर ऑफ कामर्स ॲण्ड इंडस्ट्री

महोदय,

विषय: **दि 19.7.2019 को "उसी दिन निपटारा" आयात प्रक्रिया का सरलीकरण के विषय में सीमा शुल्क द्वारा कार्यशाला.**

श्री बाणी भट्टाचार्य, मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त तथा श्री संजय भाटिया, अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "उसी दिन निपटारा" कार्यशाला के दौरान "सहज व्यापार" में व्यापार को सहायता कर सकते हैं ऐसे विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई.

2. चर्चित मामलों में से एक का संबंध मुंबई पोर्ट में प्रलेखीकरण के कुछ चरण कम करके आयात माल सुपुर्दगी प्रक्रिया के सरलीकरण से था.

3. अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त मामलों पर दि. 19.07.2019 को अध्यक्षजी द्वारा आयोजित बैठक (चिंतन शिविर) में सभी स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा की गई. चर्चा तथा लिये गये निर्णयों के अनुसार गोदियों से आयात माल की सुपुर्दगी के लिए प्रलेखीकरण में निम्नलिखित बदलाव लागू किये जायेंगे:

(i) कस्टम हाउस दलाल/आयातकर्ता जिन्हें सीमाशुल्क परीक्षण के लिए ई-सुपुर्दगी आदेश (ई-डीओ) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी, अब बगैर ई-डीओ प्रस्तुत किये माल के सीमा-शुल्क परीक्षण की अनुमति होगी. तथापि, माल की सुपुर्दगी के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को ई-डीओ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(ii) सीमा शुल्क परीक्षण के बाद, कस्टम हाऊस दलाल/ आयातकर्ता सीमाशुल्क का भुगतान कर सीमा शुल्क की "आउट ऑफ चार्ज" प्रक्रिया पूरी कर सकता है तथा तदोपरान्त पत्तन प्रभारों का भुगतान कर सकता है.

(iii) सीडीओ कार्यालय, अम्बेडकर भवन में की जाने वाली सीडीओ अग्रेषण तथा सीडीओ पारित करने कीवर्तमान औपचारिकताएँ समाप्त कर दी जाएँगी. कस्टम हाऊस दलाल/आयातकर्ता को जहां माल का भंडारण तथा परीक्षण किया गया है वहां केवल "शेड पासिंग" पूरी करनी होगी.

(iv) ईडीओ प्रस्तुत करने तथा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही तथा सीमा शुल्क तथा पत्तन प्रभारों के भुगतान की पुष्टि होने पर गोदाम अधीक्षक अथवा सहायक गोदाम अधीक्षक द्वारा शेड पर "शेड पासिंग" की जाएगी.

(v) उसके बाद गोदाम अधीक्षक द्वारा माल की सुपुर्दगी की अनुमति दी जाएगी तथा सभी संबंधित विवरण आईपीओएस में भरे जाने चाहिए.

4. आपसे अनुराध है कि उक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने सदस्यों को सूचित करें, जिससे निश्चित ही कंटेनरों/माल के "सहज व्यापार " में सहायता होगी तथा व्यापार के लिए लागत और समय में कटौती होगी.

भवदीय,

sd

(ए. के. बोस)
यातायात प्रबंधक

प्रतिलिपि- रोकड पर्यवेक्षक, इं.गो.
प्रतिलिपि- सभी उप यातायात प्रबंधक
प्रतिलिपि- सभी वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक
} को जानकारी के लिए.

प्रतिलिपि- उप आयुक्त सीमाशुल्क (गोदी), को कृपया जानकारी के लिए.
प्रतिलिपि- मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क, को कृपया जानकारी के लिए.

प्रतिलिपि- उपाध्यक्षजी के निजी सचिव को कृपया उपाध्यक्षजी की जानकारी के लिए.
प्रतिलिपि- अध्यक्षजी के निजी सचिव को कृपया अध्यक्ष की जानकारी के लिए.